स्थिति में देय रूप में राशि वापस की जाएगी तथा पालिसी समाप्त हो जाएगी। यदि राइडर के लिए विकल्प दिया गया हो तो राइडर के पुनःप्रवर्तन पर मूल पालिसी के पुनःप्रवर्तन के साथ ही विचार किया जाएगा, और अलग से नहीं।

9. अभ्यर्पण मूल्यः

इस प्लान के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, निम्नलिखित मामलों [समान बीमित राशि (विकल्प I) एवं बढ़ती हुई बीमित राशि (विकल्प II) दोनों विकल्पों के लिए] में पालिसी का अभ्यर्पण करने पर निम्नानुसार राशि वापस की जाएगीः

क) नियमित प्रीमियम पालिसियाँ : कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी।

ख) एकल प्रीमियम पालिसियाँ : लागू धन वापसी पालिसी अवधि के दौरान किसी भी समय देय होगी।

ग) सीमित प्रीमियम भुगतानः लागू धन वापसी केवल तभी देय होगी यदि संपूर्ण प्रीमियम कम से कम निम्नलिखित के लिए अदा किये गये हों :

i) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम होने की स्थिति में दो निरंतर वर्ष।

ii) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में तीन निरंतर वर्ष।

व्यपगत पालिसी के मामले में धन वापसी केवल पालिसीधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर पुनःप्रवर्तन अवधि के दौरान देय होगी। तथापि, पुनःप्रवर्तन अवधि की समाप्ति पर पालिसी व्यपगत हो जाएगी और पालिसीधारक को धन वापसी का भुगतान किया जाएगा।

10. पालिसी ऋणः

इस प्लान के अंतर्गत कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

11. करः

i. भारत सरकार अथवा किसी अन्य भारतीय सांविधिक कर प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसी बीमा योजनाओं पर कोई सांविधिक कर लगाये गये हों, तो वे कर संबंधी विधियों के अनुसार होंगे तथा कर की दर समय-समय पर यथा प्रयोज्य रूप में होगी।

प्रचलित दरों के अनुसार किन्हीं प्रयोज्य करों की राशि पालिसीधारक द्वारा पालिसी के अंतर्गत प्रीमियम (प्रीमियमों) पर देय होगी, जो पालिसीधारक द्वारा देय प्रीमियमों के अलावा, अतिरिक्त रूप से वसूल की जाएगी। प्रदत्त कर की राशि पर इस प्लान के अंतर्गत देय लाभों के परिकलन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

ii. इस प्लान के अंतर्गत प्रदत्त प्रीमियम (प्रीमियमों) और देय लाभों पर आय कर लाभों / निहितार्थों के संबंध में विवरण के लिए कृपया अपने कर-सलाहकार से संपर्क करें।

12. फ्री लुक अवधिः

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी आपत्तियों के लिए कारण बताते हुए पॉलिसी बांड की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अंदर निगम को लौटाई जा सकती है। पॉलिसी वापस प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को निरस्त करेगा तथा बीमा रक्षा (कवर) की अवधि के लिए समानुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल प्लान और राइडर, यदि कोई हो, के लिए), डाक्टरी जाँच, विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हों, के लिए किये गये व्यय एवं मुद्रांक शुल्क के लिए प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस करेगा।

13. आत्महत्या अपवर्जनः

(i) एकल प्रीमियम पालिसी के अंतर्गतः

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे उस समय स्वस्थ हो अथवा विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता/करती है तो पॉलिसी अमान्य होगी, निगम प्रदत्त एकल प्रीमियम के 90% के लिए दावे को छोड़कर किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

(ii) नियमित / सीमित प्रीमियम भुगतान पालिसीः

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे उस समय स्वस्थ हो अथवा विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता/ करती है, तो पालिसी अमान्य होगी, बशर्ते कि पालिसी प्रचलन में हो अथवा पुनःप्रवर्तन की तारीख से 12 महीने के अंदर हो, निगम मृत्यु की तारीख तक प्रदत्त प्रीमियमों के 80% के लिए दावे को छोड़कर किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

यह खंड व्यपगत पालिसी के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसी पालिसियों पर कोई भी राशि देय नहीं है।

टिप्पणी: एकल प्रीमियम/ ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में कोई भी कर, अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी, यदि जोखिम-अंकन निर्णय और किसी राइडर प्रीमियम के कारण पालिसी के अंतर्गत कोई प्रभार हों।

14. एलआईसी की टेक-टर्म कैसे खरीदें:

एलआईसी की टेक-टर्म ऑनलाइन खरीदने के लिए कदम-दर-कदम प्रक्रियाः

1) यह ऑनलाइन उत्पाद खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट (www.licindia.in) पर लॉग-ऑन करें। 'ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें' पर क्लिक करें। एलआईसी की टेक-टर्म का चयन करें।
2) 'ऑनलाइन खरीदें' पर क्लिक करें। अपनी अपेक्षित बीमित राशि, बीमित राशि विकल्प (समान / बढ़ती हुयी), पालिसी अवधि, नियमित और सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प के लिए प्रीमियम भुगतान विकल्प (नियमित/सीमित/एकल) एवं प्रीमियम भुगतान विधि (वार्षिक/ छमाही), जन्मतिथि, लिंग और धूम्रपान की स्थिति का चयन करें।
3) विवरण भरने के बाद चुने गये मानदंडों के लिए एक प्रीमियम कैल्क्युलेटर प्रीमियम का परिकलन करेगा।
4) स्क्रीन पर प्रदर्शित अन्य ब्योरे जैसे नाम, पता, व्यवसाय, योग्यता आदि प्रविष्ट करें तथा प्रस्ताव फार्म ऑनलाइन पूरा करें।
5) प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करें और जोखिम-अंकन आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूरी करें।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 का उपबंध समय-समय पर यथा संशोधित रूप में होगा। इस उपबंध का सरलीकृत पाठ निम्नानुसार हैः

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की शर्तों के अनुसार जिन प्रावधानों के अंतर्गत पालिसी पर संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता, वे इस प्रकार हैं :

1. जीवन बीमा की किसी भी पालिसी पर निम्नलिखित से 3 वर्ष की समाप्ति पर किसी भी आधार पर संदेह प्रकट नहीं किया जा सकताः
   क. पालिसी जारी करने की तारीख अथवा
   ख. जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख अथवा
   ग. पालिसी के पुनःप्रवर्तन की तारीख अथवा
   घ. पालिसी के राइडर की तारीख
   जो भी बाद में हो।
2. धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की पालिसी पर निम्नलिखित से 3 वर्ष के अंदर संदेह प्रकट किया जा सकता हैः
   क. पालिसी जारी करने की तारीख अथवा
   ख. जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख अथवा
   ग. पालिसी के पुनःप्रवर्तन की तारीख अथवा
   घ. पालिसी के राइडर की तारीख
   जो भी बाद में हो।

इसके लिए बीमाकर्ता को बीमाकृत व्यक्ति अथवा बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि अथवा नामिती अथवा समनुदेशितियों, जैसा लागू हो, को लिखित में उस कारण और तथ्यों का उल्लेख करते हुए सूचित करना चाहिए, जिनपर ऐसा निर्णय आधारित है।

3. धोखाधड़ी से बीमाकृत व्यक्ति अथवा उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने अथवा बीमाकर्ता को जीवन बीमा पालिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य अभिप्रेत हैः
   क. ऐसा सुझाव जो तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाकृत व्यक्ति को विश्वास नहीं है;
   ख. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में हो अथवा जिसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास हो;
   ग. धोखाधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा
   घ. कोई ऐसा अन्य कार्य अथवा भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता हो।
4. केवल चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति अथवा उसके एजेंट का यह कर्तव्य है कि बोलने से चुप रहना अथवा उसकी खामोशी अपने आपमें बोलने के समान हो।
5. कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पालिसी को धोखाधड़ी के आधार पर निराकृत नहीं कर सकता, यदि बीमाकृत व्यक्ति / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा दी गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की अथवा कथित गलतबयानी अथवा महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था। गलत साबित करने का दायित्व पालिसीधारक पर है अगर वह जीवित है, नहीं तो लाभार्थियों पर है।
6. जीवन बीमा पालिसी के संबंध में 3 वर्षों के अंदर इस आधार पर संदेह प्रकट किया जा सकता है कि बीमाकृत व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा से संबंधित किसी वक्तव्य को अथवा महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में अथवा किसी अन्य दस्तावेज में गलत ढंग से दिया गया था/ छिपाया गया था जिसके आधार पर पालिसी जारी की गई थी अथवा पुनःप्रचलित की गई थी अथवा राइडर जारी किया गया था। इसके लिए बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को अथवा बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि अथवा नामिती अथवा समनुदेशितियों को लिखित में उस कारण और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिसके आधार पर जीवन बीमा पालिसी को निराकृत करने का निर्णय लिया गया हो।
7. यदि निराकरण गलतबयानी के आधार पर है और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं है, तो निराकरण की तारीख तक पालिसी पर वसूल किया गया प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति अथवा बीमाकृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि अथवा नामिती अथवा समनुदेशितियों को निराकरण की तारीख से 90 दिन की अवधि के अंदर अदा किया जाएगा।
8. किसी तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किये गये जोखिम के साथ उसका सीधा संबंध न हो। यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि यदि बीमाकर्ता को उपर्युक्त तथ्य की जानकारी होती तो बीमाकृत व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पालिसी जारी नहीं की जाती।
9. बीमाकर्ता किसी भी समय आयु का प्रमाण माँग सकता है यदि वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी भी पालिसी के संबंध में केवल इस कारण से संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता कि पालिसी की शर्तों में बीमाकृत व्यक्ति की आयु का प्रमाण बाद में प्रस्तुत करने पर उसके आधार पर बीमाकृत व्यक्ति की आयु को समायोजित किया गया था। अतः यह धारा बाद में प्रस्तुत किये गये आयु के प्रमाण के आधार पर आयु अथवा उसके समायोजन के बारे में प्रश्न करने के लिए लागू नहीं होगी।

अस्वीकरण: यह बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यापक सूची नहीं है, बल्कि आम जानकारी के लिए तैयार किया गया एक सरलीकृत पाठ है। पालिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे संपूर्ण और सही विवरण के लिए बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 का अवलोकन करें।

छूट का निषेध बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाये गये प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करवानेवाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टसों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करनेवाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।

यह उत्पाद विवरण-पुस्तिका (प्रोडक्ट ब्रोशर) प्लान की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही देती है। अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पालिसी दस्तावेज देखें अथवा हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।
पालिसी आनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लाग-आन करें।

अप्रामाणिक फोन कॉलों एवं फ़र्जी / कपटपूर्ण प्रस्तावों से सावधान! आईआरडीएआई किसी प्रकार की बीमा पालिसियों का विक्रय करने, बोनस की घोषणा करने अथवा प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संबद्ध नहीं है। ऐसे फोन-काल्स प्राप्त करनेवाले जनसाधारण से अनुरोध है कि वे पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालयः
भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाइटः www.licindia.in
पंजीकरण संख्याः 512

खुशियों को सुरक्षित करें हमेशा के लिए... एक क्लिक से

केवल ऑनलाइन उपलब्ध

एलआईसी का टेक-टर्म ऑनलाइन प्योर प्रोटेक्शन प्लान

एल.आई.सी.की
टेक-टर्म

योजना सं.: 854   यूआईएन 512N333V01

एक नॉन लिंक्ड, लाभरहित पूर्ण जोखिम प्रीमियम योजना

LIC DIRECT QUICK, SIMPLE AND EASY
www.licindia.in पर हमें विजिट करें
अपने शहर का नाम 56767474 पर SMS करें।
कॉल सेंटर सर्विसेस (022) 6827 6827
एलआईसी मोबाइल एप "MyLIC" डाउनलोड करें
LIC India Forever
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
IRDAI Regn. No. 512
ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी

एलआईसी का टेक-टर्म (यूआईएन: 512N333V01)

(एक नॉन लिंक्ड, लाभरहित, पूर्ण जोखिम प्रीमियम योजना)

एलआईसी का टेक-टर्म एक नॉन लिंक्ड, लाभरहित ऑनलाइन पूर्ण जोखिम प्रीमियम प्लान है जो पालिसी की अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय संरक्षण प्रदान करता है। यह प्लान केवल ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से ही उपलब्ध होगा तथा इसे आपकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय, कहीं भी खरीदा जा सकता है।

एलआईसी की टेक-टर्म की प्रमुख विशेषताएँ:

- लाभ के दो विकल्पों से चयन करने का लचीलापन: समान बीमित राशि और बढ़ती हुई बीमा राशि।
- निम्नलिखित के लिए लचीलापन
  - एकल प्रीमियम, नियमित प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान में से चयन करना
  - पालिसी अवधि / प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन करना
  - किस्तों में लाभ के भुगतान के लिए विकल्प का चुनाव
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- उच्च बीमा राशि के लिए आकर्षक छूट का लाभ।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ अर्थात् (1) धूम्रपान न करनेवालों की दरें तथा (2) धूम्रपान करनेवालों की दरें। धूम्रपान न करनेवालों की दरों का लागू होना मूत्रीय कोटिनाइन जाँच के निष्कर्षों पर आधारित होगा। अन्य सभी मामलों में धूम्रपान करनेवालों की दरें लागू होंगी।
- राइडर हितलाभ हेतु अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके दुर्घटना लाभ अनुवृद्धि (राइडर) के लिए विकल्प देने के द्वारा आपकी बीमारक्षा बढ़ाने का विकल्प।

पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

क) प्रवेश के समय न्यूनतम आयु : 18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
ख) प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
ग) परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 80 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
घ) न्यूनतम मूल बीमित राशि : रु. 50,00,000/-
ङ) अधिकतम मूल बीमित राशि: कोई सीमा नहीं
मूल बीमित राशि निम्नलिखित के गुणजों में होगी:
रु. 5,00,000/-, यदि पालिसी के लिए मूल बीमित राशि रु. 50,00,000/- से रु. 75,00,000/- तक है।
रु. 25,00,000/-, यदि पालिसी के लिए मूल बीमित राशि रु.75,00,000/- से अधिक है।
च) पालिसी अवधि : 10 से 40 वर्ष
छ) प्रीमियम भुगतान अवधि:
नियमित प्रीमियम: पालिसी अवधि के समान
सीमित प्रीमियम : पालिसी अवधि [10 से 40] वर्ष के लिए [पालिसी अवधि में से 5] वर्ष घटाकर
: पालिसी अवधि [15 से 40] वर्ष के लिए [पालिसी अवधि में से 10] वर्ष घटाकर
एकल प्रीमियम : लागू नहीं

प्लान की विशेषताएँ:

1. मृत्यु लाभ:

पालिसी अवधि के दौरान स्वीकार्य मृत्यु दावे की स्थिति में देय मृत्यु लाभ, बशर्ते कि पालिसी प्रचलन में हो, "मृत्यु पर बीमित राशि" होगा।
नियमित प्रीमियम और सीमित प्रीमियम पालिसी के लिए, "मृत्यु पर बीमित राशि" निम्नलिखित में से उच्चतम के रूप में परिभाषित है:

- वार्षिकीकृत प्रीमियम की 7 गुनी; अथवा
- मृत्यु की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रदत्त सभी प्रीमियमों का 105%; अथवा
- मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि।

एकल प्रीमियम पालिसी के लिए, "मृत्यु पर बीमित राशि" निम्नलिखित में से उच्चतर के रूप में परिभाषित है:

- एकल प्रीमियम का 125% ।
- मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि।

ऊपर उल्लिखित प्रीमियमों में जोखिम-अंकन निर्णय और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, के कारण पालिसी के अंतर्गत प्रभार्य कोई भी अतिरिक्त राशि शामिल नहीं होगी।

मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि यह पालिसी लेते समय चुने गये मृत्यु लाभ विकल्प पर आधारित होगी तथा वह निम्नानुसार है:

- **विकल्प I :** समान बीमित राशि
  मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि मूल बीमित राशि के समान राशि होगी, जो पालिसी की पूरी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
- **विकल्प II :** बढ़ती हुई बीमा राशि
  मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि पाँचवें पालिसी वर्ष के पूरे होने तक मूल बीमित राशि के समान होगी। उसके बाद, उसमें छठवें पालिसी वर्ष से पंद्रहवें पालिसी वर्ष तक प्रत्येक वर्ष मूल बीमित राशि के 10% की वृद्धि होगी जब तक वह मूल बीमित राशि की दुगुनी नहीं हो जाती। प्रचलन में स्थित पालिसी के अंतर्गत यह वृद्धि पालिसी अवधि के अंत तक; अथवा मृत्यु की तारीख तक; अथवा पंद्रहवें पालिसी वर्ष तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी। सोलहवें पालिसी वर्ष से और तत्पश्चात, मृत्यु होने पर देय समग्र बीमित राशि स्थिर रहेगी अर्थात् पालिसी अवधि की समाप्ति तक मूल बीमित राशि की दुगुनी राशि रहेगी।

उदाहरण के लिए, रु. X की मूल बीमित राशि से युक्त पालिसी के अंतर्गत मृत्यु होने पर अदा की जानेवाली समग्र बीमित राशि पाँचवें पालिसी वर्ष के अंत तक रु. X होगी, छठवें पालिसी वर्ष के दौरान रु. 1.1X होगी, सातवें पालिसी वर्ष के दौरान 1.2X होगी, इस प्रकार उसमें प्रत्येक वर्ष मूल बीमित राशि के 10% की वृद्धि तब तक होती रहेगी जब तक वह पंद्रहवे पालिसी वर्ष में 2X नहीं हो जाती।
सोलहवें पालिसी वर्ष और तत्पश्चात, मृत्यु होने पर देय समग्र बीमित राशि 2X होगी।
एक बार चुना गया मृत्यु लाभ विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

2. परिपक्वता लाभ:

पालिसी अवधि के अंत तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

3. उपलब्ध विकल्प:

i. राइडर लाभ:
पालिसीधारक के पास प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के द्वारा नियमित प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान पद्धति के अंतर्गत एलआईसी की दुर्घटना लाभ राइडर UIN: 512B203V03 का उपयोग करने का विकल्प है, बशर्ते कि बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत लाभ कवर केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अथवा उस पालिसी वर्षगाँठ तक जब बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि पर आयु 70 वर्ष होगी, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर के लिए विकल्प चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में मूल प्लान के अंतर्गत मृत्यु लाभ के साथ ही दुर्घटना लाभ राइडर की बीमित राशि एकमुश्त रूप में देय होगी।
इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा। उक्त दुर्घटना लाभ की बीमित राशि पालिसी के अंतर्गत मृत्यु पर मूल बीमित राशि से अधिक नहीं होगी।
इस राइडर के संबंध में अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर राइडर विवरण-पुस्तिका (ब्रोशर) का अवलोकन करें।

ii. मृत्यु लाभ किस्तों में लेने के लिए विकल्प:
प्रचलन में स्थित पालिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बदले 5 अथवा 10 अथवा 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए यह एक विकल्प है। इस विकल्प का प्रयोग बीमित व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल के दौरान पालिसी के अंतर्गत देय मृत्यु लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति के द्वारा विकल्प दी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो निरपेक्ष (ऐब्सल्यूट) मूल्य में या देय कुल दावा आगम राशि के रूप में हो सकती है।
किस्तों का भुगतान निम्नानुसार भुगतानों की विभिन्न पद्धतियों के लिए न्यूनतम किस्त की राशि के अधीन, अग्रिम रूप से विकल्प दिये गये रूप में वार्षिक अथवा छमाही अथवा मासिक अंतरालों पर किया जाएगा:

किस्त के भुगतान की विधि	किस्त की न्यूनतम राशि
मासिक	रु. 5000/-
तिमाही	रु. 15000/-
छमाही	रु. 25000/-
वार्षिक	रु. 50000/-

यदि निवल दावा राशि बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार किस्त की न्यूनतम राशि प्रदान करने के लिए अपेक्षित राशि से कम है, तो दावे की आगम राशि का भुगतान केवल एकमुश्त ही किया जाएगा।
इस विकल्प के अंतर्गत किस्तों के भुगतानों की गणना के लिए लागू ब्याज दर समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित रूप में होगी।
किस्तों में मृत्यु लाभ लेने के लिए विकल्प का प्रयोग करने हेतु: बीमित व्यक्ति पालिसी के प्रचलन में रहते समय अपने जीवन-काल के दौरान किस्त के भुगतान की अवधि और निवल दावा राशि जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। तब नामिती को बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा तथा नामिती द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. प्रीमियमों का भुगतान:

आप इस प्लान के अंतर्गत नियमित प्रीमियम, सीमित प्रीमियम अथवा एकल प्रीमियम विकल्पों के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं तथा प्रीमियम (प्रीमियमों) का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। नियमित और सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान वार्षिक अथवा छमाही प्रीमियम भुगतान की विधियों के साथ किया जा सकता है।
देय प्रीमियम प्रवेश के समय बीमित किये जानेवाले व्यक्ति की आयु, धूम्रपान की स्थिति, लिंग, पालिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमित राशि के संबंध में दिये गये विकल्प पर निर्भर होगा। एकल प्रीमियम के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 30,000/- होगा। नियमित और सीमित प्रीमियम विधि के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम रु. 3,000/- होगा।

5. छूट अवधि (नियमित और सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

वार्षिक अथवा छमाही प्रीमियमों के भुगतान के लिए प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से 30 दिन की छूट अवधि (ग्रेसपीरियड) की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पालिसी की शर्तों के अनुसार पालिसी को किसी क्रमभंग के बिना जोखिम कवर के साथ प्रचलन में स्थित माना जाएगा।
यदि छूट के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता, तो पालिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाती है। ऐसी पालिसियों के अंतर्गत प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से छूट अवधि की समाप्ति के बाद सभी लाभ समाप्त हो जाएँगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।

6. नमूना निदर्शी प्रीमियम:

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत धूम्रपान न करनेवाले, पुरुष, मानक जीवनों के लिए रु. 1 करोड़ की मूल बीमित राशि हेतु विकल्प I (समान बीमित राशि) और विकल्प II (बढ़ती हुई बीमा राशि) के विकल्प से युक्त नमूना निदर्शी प्रीमियम निम्नानुसार हैं :

विकल्प I (समान बीमित राशि):

आयु (पिछले जन्मदिन पर)	पालिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम	(पालिसी अवधि में से 5 वर्ष घटाकर) वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम	(पालिसी अवधि में से 10 वर्ष घटाकर) वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम	एकल प्रीमियम
20	20	रु. 5,368/-	रु. 6,160/-	रु. 8,008/-	रु. 64,592/-
30	20	रु. 7,216/-	रु. 8,360/-	रु. 10,912/-	रु. 87,120/-
40	20	रु. 13,770/-	रु. 16,110/-	रु. 21,060/-	रु. 1,66,230/-

टिप्पणी: उपर्युक्त निदर्शी प्रीमियमों में जीएसटी शामिल नहीं है।

विकल्प II (बढ़ती हुई बीमा राशि):

आयु (पिछले जन्मदिन पर)	पालिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम	(पालिसी अवधि में से 5 वर्ष घटाकर) वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम	(पालिसी अवधि में से 10 वर्ष घटाकर) वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम	एकल प्रीमियम
20	20	रु. 7,020/-	रु. 8,190/-	रु. 10,620/-	रु. 85,140/-
30	20	रु. 10,350/-	रु. 12,060/-	रु. 15,750/-	रु. 1,24,920/-
40	20	रु. 21,252/-	रु. 24,932/-	रु. 32,568/-	रु. 2,56,036/-

टिप्पणी: उपर्युक्त निदर्शी प्रीमियमों में जीएसटी शामिल नहीं है।

7. छूट (रिबेट)/ अतिरिक्त प्रभार (लोडिंग):

निम्नलिखित छूटें/लोडिंग लागू होंगे:

(i) उच्च बीमित राशि संबंधी छूट (नियमित, सीमित और एकल प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

उच्च बीमित राशि संबंधी छूटें निम्नानुसार हैं :

क) विकल्प I के अंतर्गत: समान बीमित राशि

आयु समूह (पिछले जन्मदिन पर)	सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमित राशि संबंधी छूट		
	रु. 1 करोड से कम	रु. 1 करोड से लेकर रु. 2 करोड से कम तक	रु. 2 करोड और उससे अधिक
30 वर्ष की आयु तक	कोई छूट नहीं	12%	20%
31 से 50 वर्ष	कोई छूट नहीं	10%	15%
51 वर्ष और उससे ऊपर	कोई छूट नहीं	5%	7%

ख) विकल्प II के अंतर्गत: बढ़ती हुई बीमित राशि

आयु समूह (पिछले जन्मदिन पर)	सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमित राशि संबंधी छूट		
	रु. 1 करोड से कम	रु. 1 करोड से लेकर रु. 2 करोड से कम तक	रु. 2 करोड और उससे अधिक
30 वर्ष की आयु तक	कोई छूट नहीं	10%	18%
31 से 50 वर्ष	कोई छूट नहीं	8%	13%
51 वर्ष और उससे ऊपर	कोई छूट नहीं	4%	6 %

(ii)रीत्यात्मक अतिरिक्त प्रभार (नियमित और सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

पद्धति	सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में अतिरिक्त प्रभार
वार्षिक	कोई प्रभार नहीं
छमाही	2%

8. पुनःप्रवर्तन:

यदि प्रीमियमों का भुगतान छूट अवधि के अंदर नहीं किया जाता, तो पालिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाएगी। व्यपगत पालिसी का पुनःप्रवर्तन बीमित व्यक्ति के जीवन-काल के दौरान किया जा सकता है, परंतु प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से 5 निरंतर वर्षों की अवधि के अंदर अथवा लागू उत्पाद विनियमों के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त रूप में, तथा परिपक्वता की तारीख से पहले, जैसी स्थिति हो, समय-समय पर निगम द्वारा निर्णीत दर पर ब्याज (छमाही तौर पर चक्रवृद्धि) सहित प्रीमियम की समस्त बकाया राशि का भुगतान करने पर यह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निरंतर बीमा-योग्यता का प्रमाण आवश्यक हो सकता है।
निगम के पास बंद पालिसी के पुनःप्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने अथवा पुनःप्रवर्तन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बंद पालिसी का पुनःप्रवर्तन केवल निगम द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद ही तथा पालिसीधारक को लिखित में विशिष्ट रूप से सूचित किये जाने पर ही प्रभावी होगा।
यदि किसी व्यपगत पालिसी का पुनःप्रवर्तन, पुनःप्रवर्तन अवधि के अंदर, परंतु परिपक्वता की तारीख से पहले नहीं किया जाता है तो पालिसी स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। नियमित प्रीमियम पालिसियों के मामले में कुछ भी देय नहीं होगा। तथापि, सीमित प्रीमियम भुगतान वाली पालिसियों के मामले में अभ्यर्पण की